CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

भवन निर्माण में कार्यरत श्रमिक महिलाओं की स्थिति

नेहा कुमारी
Reaserch Scholar, Home Science
Ranchi University, Ranchi
Email- nehak0274@gmail.com, Mobile-8651957238

First draft received: 18.03.2024, Reviewed: 24.03.2024, Final proof received: 25.03.2024, Accepted: 28.03.2024

सार-संक्षेप

आज महिलाएं 18 घंटे काम करती हैं। विश्व भर ने उनकी मेहनत को नकारा है। 21 वीं सदी में महिलाओं का श्रम बहुत कम रहा। श्रम की इस प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान भविष्य को दिखाना असंभव है। पूरे भारत में महिला कामगार घरों, मुहल्ले, खेतों, बस्तियों और हर जगह काम कर रही हैं और करती रहेंगी। श्रम अर्थव्यवस्था के बदलते दौर में किया गया श्रम ही श्रम माना गया है। महिलाओं का कार्य सेवाभाव है। 21वीं सदी में भारत में पूरी–पूरी महिलाएं अपना जीवन श्रम से चलाती हैं। बेटी पैदा होने और पांच साल की उम्र होने के बाद वे काम करने लगते हैं। इस काम को परिवार, समाज, राज्य या देश ने कभी नहीं माना।

मुख्य शब्द *: सामाजिक, आर्थिक, असंगठित, जानकारी का अभाव, गरीबी आदि.*

प्रस्तावना

हमारे देश के विकास और प्रगति में महिलाएं हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। कई वर्षों से परिवार की सारी जिम्मेदारी पुरूष को ही निभानी पड़ती थी और स्त्री चहारदीवारी के भीतर रहती थी, लेकिन आज बहुत बदलाव हुआ है। आज भारत की कुल श्रमशक्ति में महिला श्रमिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में कार्यरत महिलाओं में से 10 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। सामाजिक और आर्थिक जीवन औद्योगीकरण से प्रभावित हुआ है। अभी भी बहुत सी महिलाएं गरीब, लाचार और मुश्किल से पेट पालती हैं। उनमें से रोजी कमाने वाली महिला श्रमिकों की संख्या पुरूषों से अधिक है। स्त्रियां और बेटी केवल गरीब परिवारों में अधिक कठिन और उपेक्षित जीवन जीते हैं। भारतीय महिलाओं का आज भी काफी धीमा विकास हुआ है। महिलाओं ने हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्रियों को ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति, कम वेतन और पोषण की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं।

1. इस विधेयक में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा में भाग लेने का प्रावधान है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण निधि विधेयक द्वारा स्थापित की जाती है, लेकिन सरकार ही इसके प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा के खर्च पर अंतिम निर्णय लेती है।
2. सभी असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वयं पंजीकरण करना होगा और आवेदन करना होगा।
3. सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन विधेयक में है। लेकिन वे आटोनोमस नहीं होंगे सरकार इन राज्य और राष्ट्रीय बोर्डों में सदस्यों का नामांकन करेगी। बोर्डों को सिफारिशें करने, सुझाव देने, योजनाओं की समीक्षा करने, विश्लेषण करने का अधिकार है। उनके पास भी कुछ प्रशासनिक अधिकार हैं।
4. यह विधेयक सरकार की कई मौजूदा योजनाओं को शामिल करता है, लेकिन सुरक्षा लाभ बहुत कम हैं। जैसे पांच सौ रुपये मातृत्व लाभ, दो सौ रुपये वृद्धावस्था लाभ और एक वर्ष में स्वास्थ्य के लिए अधिकतम तीस हजार रुपये आदि। इनमें से अधिकांश बीमा आधारित हैं। इन राशियों की उपयोगिता अस्पष्ट है।
5. यह विधेयक असंगठित श्रमिकों को आजीविका, नियोजन, जल, जंगल, जमीन और स्वयं का घर के अधिकार नहीं देता। इसमें श्रम अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा अधिकारों, दलित, महिला और प्रवासी श्रमिकों के विशेष सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का प्रावधान नहीं है। विधेयक विवाद सुलझाने का प्रावधान शामिल करता है, लेकिन असंगठित श्रमिकों के प्रशासन से उत्पन्न विवादों (जैसे विस्थापन, आजीविका, पुलिस या नगर–निगम द्वारा आक्रमण) को नहीं सुलझाता है।

भारतीय कार्यबल में महिलाएं महत्वपूर्ण हैं। रजिश्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सूचना के अनुसार, 2001 में महिलाओं की श्रम भागीदारी 25.63 प्रतिशत थी। 1981 में 19.67 प्रतिशत और 1991 में 22.27 प्रतिशत की तुलना में यह एक वृद्धि है। महिला श्रम भागीदारी दर में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन पुरूष श्रम भागीदारी दर लगातार कम हो रही है। 2001 में शहरी क्षेत्रों में महिला श्रम भागीदारी दर 11.88 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 30.79 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि में काम करती हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत महिला श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार, सेवाएं और भवन निर्माण। विभिन्न राज्यों में इम्पलाइमेंट–अनइम्पलाइमेंट और जनसंख्या फैलाव पर एनएसएस 61वें राउन्ड सर्वे पर आधारित, 2004–05 के दौरान देश में कुल श्रमशक्ति का अनुमान 455.7 मिलियन था। 146.89 मिलियन कर्मचारियों में से केवल 32.2 प्रतिशत महिलाएं थीं। महिला श्रमिकों में लगभग 106.89 मिलियन, या 72.8 प्रतिशत, कृषि में काम करते थे, जबकि उद्योग में काम करने वाले पुरूषों की भागीदारी केवल 48.8 प्रतिशत थी। उद्योग की कुल भागीदारी लगभग 56.6 प्रतिशत थी।

झारखण्ड में महिला श्रमिकों की स्थिति

एक अनुमान के मुताबिक, महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा दो तिहाई घंटे अधिक काम करती हैं, लेकिन वह केवल दस फीसदी आय और एक फीसदी संपत्ति का मालिक हैं। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय संदर्भ में महिला कर्मचारियों की भागीदारी पर चर्चा करते समय तीन विशिष्ट तथ्य सामने आए हैं। पहली बात यह है कि औद्यागिक क्रांति ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर डाला। महिलाओं को औद्योगिक क्षेत्र में काम करने के अधिक अवसर मिलने के कारण, वे घर से बाहर भी काम करने लगीं। महिलाओं की श्रमशक्ति में बढ़ती भागीदारी, घरेलू कार्यों में उनकी बदलती भूमिकाएं और शादीशुदा होने पर उनकी पुनरूत्पादन की भूमिका का नौकरी और काम की जरूरतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं की उत्पादक गतिविधियों में हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन इन गतिविधियों को ठीक से मापने के तरीके नहीं हैं, इसलिए महिलाओं का राष्ट्रीय आय में योगदान समझना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, 2005 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत एकल परिवार और ऐसे परिवार जिनकी मुखिया

महिला है, को ''घर'' या गृहस्थी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, एकल परिवार की परिभाषा में औरतों को निर्भरता की श्रेणी में रखकर पुरुष प्रधान समाज की पितृसत्तात्मक धारणा को ही आगे बढ़ाया गया है।

घरेलू कामगारों की स्थिति और भी खराब है क्योंकि श्रम विभाजन के तहत घरेलू कामगारों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई उचित प्रावधान नहीं है, क्योंकि समाज में घरेलू काम को काम नहीं माना जाता, चाहे वह अपने घर पर हो या किसी दूसरे के घर पर हो।

असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और यौन शोषण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। श्रम कानूनों में महिला श्रमिकों की पुरुष श्रमिकों से अलग समस्याएं होती हैं। अगर एक महिला निर्माण कार्य में अपने पति के साथ काम करती है, तो उसका वेतन भी पति को ही मिलता है, भले ही पति उन पैसों को शराब में बर्बाद कर दे. फिर भी, महिला कुछ नहीं कर सकती।

इसलिए महिलाएं स्वयं को मजबूत नहीं समझती हैं। 2007 के असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा विधेयक में महिला श्रमिकों को श्रमिक ही नहीं माना गया है, हालांकि पुरूषों की तुलना में असंगठित क्षेत्र में अधिक महिला श्रमिक हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं की कमजोर स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें से एक हमारी सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप है।

महिला श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए, संगठित क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया में महिलाओं को उनका हक और न्याय नहीं मिल पाती है। ज्यादातर हिंसा और यौन शोषण के मामलों में न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि इन मामलों की जाँच करने वाली संस्थाओं की व्यवस्था बहुत कमजोर है।

महिलाएं जो संगठित समाज में कारखानों में काम करती हैं, उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास अलग से टॉयलेट और बच्चों को सुलाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। महिलाओं पर मजदूरी के अलावा परिवार की देखभाल और घर की देखभाल की जिम्मेदारी होने के कारण कई शारीरिक बीमारियां होती हैं।

भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा (2003–2004) के अनुसार गाँवों में नगरों की तुलना में कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत महिलाएं भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन आदि में काम करती हैं। गावों में स्वास्थ्य और सुरक्षा की हालत किसी से छिपी नहीं है। इन महिला श्रमिकों को वास्तव में अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और कई बार शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो कैसे कहा जा सकता है कि महिलाओं का विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, लेकिन अधिकांश भारतीय महिलाओं को विकास का मतलब नहीं मालूम है। रोजाना भोजन मिलना ही उनके लिए विकास है, और अधिकांश ग्रामीण महिला श्रमिकों के लिए यह न्यूनतम विकास है। सुरक्षित आवास भी कामकाजी महिलाओं के लिए एक और चुनौती है। इस तरह की कोई समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। लेकिल शहर की महिलाओं को भी आवास की समस्याएं हैं। महानगरों में आवास की समस्या से पीड़ित अनुमानित निम्न आय वर्ग की 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं।

वैश्विकरण ने कई सामाजिक वर्गो और समूहों पर बुरा प्रभाव डाला है, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग प्रभावित हुए हैं। विश्व भर में आर्थिक एकीकरण ने मजदूरों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण के व्यापक कानूनों को बदल दिया है और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की शर्तों के अधीन हो गए हैं। श्रम कानून आज बेकार हो गया है और वैश्विकरण ने श्रमिकों को बेबस बना दिया है।

वास्तव में, श्रमिकों के हितों, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक श्रमिक कानून बनाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस संदर्भ में श्रमिकों के लिए सुगम कार्य की धारणा पर बल दिया था, लेकिन वैश्विकरण की संरचनाओं और प्रक्रियाओं ने श्रमिकों और उनके वर्गों को बुरा प्रभाव पड़ा है। असमानता, बेरोजगारी, असुरक्षा आदि विश्वव्यापी रूप से बढ़ गए हैं क्योंकि कार्य एवं उत्पादन बाजार में धीमी वृद्धि हुई है। राज्य को कमजोर करने की आदत ने समुचित कार्य की भावना को कमजोर कर दिया।

भारत की सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जो मुख्यतः कठिन से कठिन समस्याओं से गुजरती है। यहाँ भी स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसमें माताओं और बच्चों का महत्वपूर्ण समूह है, जो किसी भी देश की समृद्धि पर निर्भर करता है। आज के बच्चे कल के राष्ट्रनिर्माता होंगे। इसलिए भारत विकासशील देश होते हुए भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक है, लेकिन जिस देश का बच्चा स्वस्थ, सबल, पुष्ट और निरोग होगा, वह देश उन्नति करेगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को समाज में उचित स्थान नहीं मिला है। आज के युग में शहर और नगर बदल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महिलाएं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में समाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई हैं। आज भी उन्हें स्वतंत्र स्वास्थ्य निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। आज वे सभी क्षेत्रों में पिछड़े होने के कारण अपने खराब स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं, और हम जानते हैं कि स्वस्थ महिलाओं और बच्चों के बिना हम एक सुंदर और स्वस्थ समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो उनके आने वाले बच्चे भी स्वस्थ होंगे, तो हमारा समाज विकसित होगा। परन्तु शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है, इसलिए स्वस्थता और स्वच्छता की जानकारी नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य के संबंध में उपरोक्त बातें सामान्य महिलाओं पर लागू होती हैं, लेकिन श्रमिक महिलाएं भी उसी श्रेणी में आती हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य सामान्य महिलाओं से अलग नहीं है।

आज देश में भवन निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। वैश्वीकरण की प्रभावशीलता और शहरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि इसका प्रमुख कारण हैं। भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए इन श्रमिकों को कम मजदूरी, कम आवास, कम रहन–सहन, कम भोजन, कम स्वास्थ्य, कम शिक्षा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है। इन श्रमिकों की संपत्ति को मजबूत करना होगा अगर देश को विकसित करना है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था के उन स्तम्भों की तरह हैं, जिस पर इमारत निर्भर करती है। यदि ये श्रमिक अपने आप को कमजोर समझते हैं तो उस इमारत का क्या होगा? वास्तव में, समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने से हमारे काम की शुरुआत नहीं होती। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। नए नियम बनाएं और उन्हें लागू करना चाहिए। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कई प्रकार की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। श्रम की कार्यकुशलता एक निश्चित अवधि और सामान्य परिस्थितियों में एक श्रमिक द्वारा अपेक्षाकृत अधिक या श्रेष्ठ अथवा अधिक और श्रेष्ठ दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने की शक्ति, क्षमता और क्षमता है। श्रमिक की कार्यकुशलता उनके कार्यस्थल पर निर्भर करती है। जैसे कार्य के घंटे, उचित पारिश्रमिक, कार्य की प्रकृति, स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण इन परिस्थितियों पर श्रमिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन श्रमिकों को वर्तमान में कई तरह की मजदूरी, आवास, रहन–सहन, भोजन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने और उनकी वास्तविकता से परिचित होने के लिए उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आज की दुनिया में हर व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं से घिरा हुआ है। हमारे गगनचुम्बी इमारतों को बनाने वाले आम श्रमिक भी इसी तरह अपना पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने श्रमिकों को कोई खास ध्यान नहीं दिया है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति, निर्धनता, कम मजदूरी और स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भवन निर्माण श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देना और सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों को दिए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है।

तिवारी और गंगोपाध्याय (2012) ने भवन निर्माण उद्योग में काम करने वाले महिला श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की खोज की। इस अध्ययन में इन्होंने 150 श्रमिकों को शामिल किया, जिनकी आयु 32 वर्ष थी और नौ वर्ष की औसत सेवा अवधि थी। अध्ययन के अनुसार, इनमें से अधिकांश बीड़ी पीने, तम्बाकू चबाने और अन्य विभिन्न आदतों के आदी थे, हालांकि उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। वह अक्सर अपर्याप्त मात्रा में चावल, दालें और सब्जियाँ खाते थे। यद्यपि अधिकांश श्रमिक कच्चे घरों में रहते थे, कुल घरों में से 62 प्रतिशत में शौचालय उपलब्ध थे। उनमें से अधिकांश को कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में पता नहीं था।

भारतीय परिदृश्य में महिला कृषि श्रमिकों के क्रियाकलापों और समस्याओं पर एक अध्ययन करने वाली **वर्मा (2013)** ने कहा कि महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी घरेलू काम है, लेकिन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महिला कृषि श्रमिक खेत पर पुरुषों के बराबर काम करती हैं। भारत में असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों में 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। जिसमें से 87 प्रतिशत ग्रामीण महिला कृषि श्रमिक हैं। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बहुत सारे जोखिमपूर्ण काम करने होते हैं। महिलाओं को रोपाई, फसल कटाई, दवाई छिड़कना, सुखाना और आसोई जैसे कृषि कार्यों में बहुत पसीना बहाना पड़ता है। महिलाएं इन सभी कार्यों में बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए लगी रहती हैं। इससे 23 से 67 प्रतिशत महिलाएं कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं। उपर्युक्त अध्ययन से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिला कृषि श्रमिकों को अधिक चुनौतीओं का सामना करना पड़ता है। महिला कृषि श्रमिक इन चुनौतियों के बावजूद भी बहुत जिम्मेदार हैं।

माला (2015) ने तमिलनाडू के कोयंबटूर जिले में ''निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों का आर्थिक सशक्तिकरण'' विषय पर एक अध्ययन किया था। जिसमें पच्चीस महिला श्रमिक शामिल थे। अध्ययन में शामिल सभी श्रमिक हिंदू थे और अनुसूचित जाति से थे। 66 प्रतिशत महिलाओं ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। 22 प्रतिशत महिलायें अशिक्षित थीं, जबकि 12 प्रतिशत महिलायें आठवीं कक्षा तक पढ़ी थीं। अध्ययन में 44 प्रतिशत महिलायें ईंट–पत्थर और सीमेन्ट ढोने, 22 प्रतिशत बालू छानने, 20 प्रतिशत पानी ढोने और 14 प्रतिशत मिश्त्री के सहायक के रूप में काम करती थीं। 22 प्रतिशत महिलायें अपने काम से बिल्कुल संतुष्ट थीं। 36 प्रतिशत महिलायें पूरी तरह असंतुष्ट थीं, जबकि 20 प्रतिशत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी महिला श्रमिक अपने काम की स्थिति और कार्यक्षेत्र पर मिलने वाली सुविधाओं से पूरी तरह संतुष्ट थीं। 20 प्रतिशत श्रमिक बैंक, पोस्ट ऑफिस, 12 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह और 8 प्रतिशत अपने रिश्तेदारों में पैसे सुरक्षित कर रहे थे। जबकि 40 प्रतिशत श्रमिक अपने भविष्य के लिए कोई बचत नहीं कर रहे थे।

"भारत में असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक–समस्याएं एवं सम्भावनाएं" पर एक अध्ययन किया गया था। जिसमें **मसूद तथा कैसरजहां (2015)** ने सत्तर महिला श्रमिकों को शामिल किये थे। अध्ययन में शामिल हुए श्रमिकों में से अधिकांश (66 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग, जनजाति या अनुसूचित जाति से थे। उन्होंने पाया कि निर्माण क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादातर श्रमिक अकुशल या अर्द्धकुशल थे। ये महिला श्रमिक निर्माण स्थल पर सबसे ज्यादा शारीरिक श्रम करते थे, जैसे ईंट ढोना, सीमेन्ट मिलाना, उपकरण पहुंचाना आदि। फिर भी उन्हें पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, जो 30 से 40 रुपये प्रतिदिन था। ये श्रमिक महिलायें कार्यस्थल पर शारीरिक श्रम करने के बाद घर पर भी शारीरिक श्रम करती थीं, जैसे कपड़े धोना, खाना पकाना और घर की सफाई करना। इससे उनकी शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती थी। उन्हें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य या प्रसूति लाभ नहीं दिया जाता था। महिला श्रमिकों को भी काम पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। अशिक्षित और अकुशल होने के कारण महिला श्रमिक शोषित होती थीं।

डॉ० रजन्ना (2015) नें कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में निर्माण कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों में कार्य की प्रकृति, कार्य की दशायें तथा समस्याओं पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन में 300 महिला श्रमिक शामिल थे। 98.6 प्रतिशत भवन निर्माण में, जबकि 1.4 प्रतिशत महिलायें सड़क, पूल और ब्रिज निर्माण में संलग्न थीं। अध्ययन में शामिल 300 महिलाओं में से 133 अनुसूचित जाति से थीं, 103 पिछड़ा वर्ग से थीं और 44 अनुसूचित जन–जाति से थीं। 90 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि पुरूष श्रमिकों और ठेकेदारों ने उनके साथ गाली–गलौज और कभी–कभी मारपीट करते हैं। 68 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे काम करते समय भेदभाव का शिकार होते हैं। 65.33 प्रतिशत महिलाओं का मानना था कि उनके काम करने की दशायें बहुत हानिकारक हैं। 50 प्रतिशत महिलायें हर समय किसी न किसी बीमारी से पीड़ित थीं। 57.6 प्रतिशत महिलायें अपने काम से निराश थीं क्योंकि वे नहीं जानती थी कि कब उन्हें निकाला जाएगा। 37.33 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि कार्यस्थल पर साफ–सफाई की कमी है। 87.7 प्रतिशत महिलायें अपने काम से खुश नहीं थीं। 42.33 प्रतिशत महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें काम के बदले कम मजदूरी मिलती है। इसलिए ये महिलाएं अपने काम से खुश नहीं थीं। 13 प्रतिशत महिलायें अधिक कार्य घण्टे से सन्तुष्ट नहीं हैं। 40.66 प्रतिशत महिलायें कार्यस्थल पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से असन्तुष्ट थीं।

शैक्षणिक स्तर के आधार पर

गाँव	अशिक्षित	साक्षर	प्रारम्भिक स्तर	माध्यमिक स्तर	हाई स्कूल	हाई स्कूल से अधिक	कुल
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
लोटा	36	0	14	0	0	0	50
कोंचो	22	5	20	2	0	1	50
लगाम	22	27	1	0	0	0	50
बिसेरिया	27	12	9	1	1	0	50
बम्हनडीह	24	5	17	4	0	0	50
कुल	131	49	61	7	1	1	250
माध्य	26	10	12	1	0	0	
मानक विचलन	6	11	7	2	0	0	

स्रोत:प्राथमिक ऑकड़े

शैक्षणिक स्तर के आधार पर %

गाँव	अशिक्षित	साक्षर	प्रारम्भिक स्तर	माध्यमिक स्तर	हाई स्कूल	हाई स्कूल से अधिक	कुल
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
लोटा	72.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	100
कोंचो	44.0	10.0	40.0	4.0	0.0	2.0	100
लगाम	44.0	54.0	2.0	0.0	0.0	0.0	100
बिसेरिया	54.0	24.0	18.0	2.0	2.0	0.0	100
बम्हनडीह	48.0	10.0	34.0	8.0	0.0	0.0	100
कुल	52.4	19.6	24.4	2.8	0.4	0.4	100

चित्र संख्या : 1.1

सारणी संख्या 1.1 के द्वारा कुल 250 प्रतिदर्शों एवं प्रत्येक गाँव के 50 प्रतिदर्श के विश्लेषण से महिलाश्रमिकों की शैक्षिणिक स्थिति परिलक्षित होती है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 52.4 प्रतिशत महिलाश्रमिक अशिक्षित पायी गयी। 19.6 प्रतिशत साक्षर हैं, अर्थात वे अपना नाम लिखने में समर्थ हैं। 24.4 प्रतिशत प्रारंभिक स्तर तक, 2.8 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक, 0.4 प्रतिशत हाई स्कूल सेअधिक शिक्षित पायी गयी।

परिवार की मासिक आय के आधार पर

गाँव	<5000		5000 - 10,000		10,000 - 15,000		>15,000		कुल
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
लोटा	0	0	38	76	12	24	0	0	50.0
कोंचो	0	0	39	78	11	22	0	0	50.0
लगाम	22	44	17	34	11	22	0	0	50.0
बिसेरिया	35	70	12	24	3	6	0	0	50.0
बम्हनडीह	14	28	15	30	21	42	0	0	50.0
कुल	71	28.4	121	48.4	58	23.2	0	0	250.0
माध्य	14.2		24.2		11.6		0		
मानक विचलन	14.97		13.18		6.39		0.00		

चित्र संख्या : 1.2

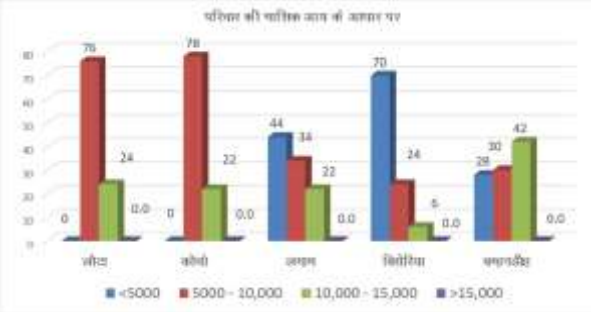

सारणी संख्या 1.2 के द्वारा प्रत्येक गाँव की 50 प्रतिदर्शों एवं कुल 250 की मासिक आय के आंड़े स्पष्ट होते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि रू 5,000/– से कम आयुवर्ग में 28.4 प्रतिशत, रू 5,000–10,000/– आय वर्ग में 48.4 प्रतिशत, रू 10,000–15ए000/– आय वर्ग में 23.2 प्रतिशत तथा रू 15,000 से अधिक आय वर्ग में महिला श्रमिकों की संख्या शून्य प्रतिशत पायी गयी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा रमणलाल (2009), *सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रिसर्च पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 1–6*
2. सिंह, रमेश, (1998), *महिला श्रमिकों की स्थिति, भावना प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 87*
3. एचटीटीपीः//आइजे आरआर एसएस ऑनलाइन डॉट इन/एब्सट्रैक्ट भियु डॉट ए एस पी एक्स? पी आइ डी 2019-7-3-14, 22/11/21
4. अरोड़ा, सुशील, (1998), *महिला श्रमिकों पर वैश्विकरण का प्रभाव, संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 76*
5. अरोड़ा, सुशील, (1998), *महिला श्रमिकों पर वैश्विकरण का प्रभाव, संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली,* पृ. 90
6. अरोड़ा, सुशील, (1998), *महिला श्रमिकों पर वैश्विकरण का प्रभाव, संदीप प्रकाशन, नई दिल्ली,* पृ. 94
7. कुमारी किरण (2015) *असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की आर्थिक समस्याएं अनुसंधानिका खंड 13 पृ. सं. 202*
8. तिवारी गुड्डी एवं गंगोपाध्याय पीके (2012) *ने भवन निर्माण उद्योग के श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, इंडियन जे ऑक्युप एनवायरन मेड 2012 मई–अगस्त, खण्ड 16 अंक (1) पृ. 66–71*
9. वर्मा संजना (2013), *शब्द ब्रह्म, भारतीय भाषाओं की अंतराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका, खण्ड 1, अंक 9 पृ 35–40*
10. माला, पी. (2015), *''निर्माण क्षेत्र में महिला कर्मकारों का आर्थिक सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय मानविकी अनुसंधान पत्रिका, कला एवं साहित्य Vol. 3, Issue 3, पृ. 19–24*
11. मसूद, एच० तथा केसरजहाँ (2015) *''भारत में असंगठित क्षेत्र में महिला कर्मकार–समस्याऐं एवं सम्भावनाऐं'', बहुआयामी अध्ययन का दक्षिण एशियाई पत्रिका,* खण्ड 2, अंक 4 पृ. 32
12. रन्जना के० एन० (2015) *''निर्माण कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों के कार्य की प्रकृति, कार्य की दशाएं तथा समस्याऐं: एक वैयक्तिक अध्ययन'', अन्तर्राष्ट्रीय एवं व्यवहारिक प्रबन्धन अनुसन्धान पत्रिका, खण्ड 1, अंक 9, पृ. 63–70*